



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275894
CG-DL-E-01092026-275894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4632]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4632]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4819(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 कि.मी.204/200 से कि.मी.205/200 के परलेवल क्रासिंग संख्या.64 पर कि.मी.204/600 के स्थान पर आर यु बि निर्माण के (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सुब कलेक्टर, मदनपल्ली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 कि.मी.204/200 से कि.मी.205/200 के पर लेवल क्रॉसिंग संख्या.64 पर कि.मी.204/600 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अन्नमयया		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मोलाकला चेरुवु					
गांव का नाम: मोलाकाला चेरुवु					
1	414B-1	सरकारी	पोराम्बोके(रेलवे लैंड)	0.0099999 (एकर)	0.0040469
2	414B-2	सरकारी	(पोराम्बोके)	0.0299999 (एकर)	0.0121408
3	414B-4	सरकारी	(पोराम्बोके)	0.0299999 (एकर)	0.0121408
4	484	सरकारी	पोराम्बोके(रेलवे ट्रैक)	0.289999 (एकर)	0.1173614
5	518/1	सरकारी	पोराम्बोके(रेलवे लैंड)	0.36 (एकर)	0.14569
6	518/2A	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.4899993 (एकर)	0.1983003
7	70/A-1A	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.2 (एकर)	0.0809389
8	70/A-1C	सरकारी	(पोराम्बोके)	0.11 (एकर)	0.0445164
9	70/A-1D	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.2400001 (एकर)	0.0971267
10	70/A-2	सरकारी	पोराम्बोके(रेलवे लैंड)	0.1700001 (एकर)	0.0687981
11	70B-1	सरकारी	पोराम्बोके(रेलवे लैंड)	0.8200013 (एकर)	0.3318495
12	70B-3	सरकारी	पोराम्बोके(रेलवे लैंड)	0.3700001 (एकर)	0.1497369
13	72/A	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.11 (एकर)	0.0445164

14	72/B	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.2 (एकर)	0.0809389
15	73/A	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.0400001 (एकर)	0.0161878
16	73/B	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.0800001 (एकर)	0.0323756
गांव का नाम: कदिरि नधुनी कोटा					
17	13/1	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.0600001 (एकर)	0.0242817
18	14/1B	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.18 (एकर)	0.072845
19	15-1B	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.1700001 (एकर)	0.0687981
20	16-1A2	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.2600011 (एकर)	0.1052206
21	16-1B2	सरकारी	पोराम्बोके (हेच्‌एन्‌एस्‌एस्‌ लैंड)	0.11 (एकर)	0.0445164
22	16-1C2	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.02 (एकर)	0.0080939
23	16-2B	सरकारी	पोराम्बोके (हेच्‌एन्‌एस्‌एस्‌ लैंड)	0.0099999 (एकर)	0.0040469
24	16-2C2	निजी	(पट्टा ड्राय)	0.1500001 (एकर)	0.0607042
Total					1.8251722

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4819(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH42 in the stretch of land for "Construction of 2 lane RUB on National Highway No.42 from Km.204/200 to km.205/200 in lieu of Level crossing No.64 at Km.204/600 in Annamayya District in the state of Andhra Pradesh", hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, THE SUB COLLECTOR, MADANAPALLE in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH42 in the stretch of land "Construction of 2 lane RUB on National Highway No.42 from Km.204/200 to km.205/200 in lieu of Level crossing No.64 at Km.204/600 in Annamayya District in the state of Andhra Pradesh"

State: ANDHRA PRADESH			District: Annamayya		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Molakala Cheruvu					
Village: Molakala Cheruvu					
1	414B-1	Government	Poramboke(Railway land)	0.0099999 (Acre)	0.0040469
2	414B-2	Government	(Poramboke)	0.0299999 (Acre)	0.0121408
3	414B-4	Government	(Poramboke)	0.0299999 (Acre)	0.0121408
4	484	Government	Poramboke(Railway track)	0.289999 (Acre)	0.1173614
5	518/1	Government	Poramboke(Railway land)	0.36 (Acre)	0.14569
6	518/2A	Private	(Patta Dry)	0.4899993 (Acre)	0.1983003
7	70/A-1A	Private	(Patta Dry)	0.2 (Acre)	0.0809389
8	70/A-1C	Government	(Poramboke)	0.11 (Acre)	0.0445164
9	70/A-1D	Private	(Patta Dry)	0.2400001 (Acre)	0.0971267
10	70/A-2	Government	Poramboke(Railway land)	0.1700001 (Acre)	0.0687981
11	70B-1	Government	Poramboke(Railway	0.8200013 (Acre)	0.3318495

			land)		
12	70B-3	Government	Poramboke(Railway land)	0.3700001 (Acre)	0.1497369
13	72/A	Private	(Patta Dry)	0.11 (Acre)	0.0445164
14	72/B	Private	(Patta Dry)	0.2 (Acre)	0.0809389
15	73/A	Private	(Patta Dry)	0.0400001 (Acre)	0.0161878
16	73/B	Private	(Patta Dry)	0.0800001 (Acre)	0.0323756
Village: Kadiri Nadhuni kota					
17	13/1	Private	(Patta Dry)	0.0600001 (Acre)	0.0242817
18	14/1B	Private	(Patta Dry)	0.18 (Acre)	0.072845
19	15-1B	Private	(Patta Dry)	0.1700001 (Acre)	0.0687981
20	16-1A2	Private	(Patta Dry)	0.2600011 (Acre)	0.1052206
21	16-1B2	Government	Poramboke (HNSS Land)	0.11 (Acre)	0.0445164
22	16-1C2	Private	(Patta Dry)	0.02 (Acre)	0.0080939
23	16-2B	Government	Poramboke (HNSS Land)	0.0099999 (Acre)	0.0040469
24	16-2C2	Private	(Patta Dry)	0.1500001 (Acre)	0.0607042
Total					1.8251722

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director